

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार—नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Website: - www.klsgaci.edu.in

दूरभाष क्र.—0755—2910370

क्र्य/2025/

दिनांक

(पेंशनर्स एवं अन्य निःशुल्क उपचार योजनान्तर्गत औषधि प्रदाय हेतु ई—निविदा की नियम एवं शर्तें)

- पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल के चिकित्सालय में राज्य शासन के पेंशनर तथा अन्य उपचार योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को निःशुल्क उपचार की औषधियां स्थानीय क्र्य के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु (वित्तीय बर्ष 2025—26 हेतु) ई—निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदायें आंमत्रित की जाती है। जो कि <https://mptenders.gov.in/> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने की नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर भी प्रदर्शित होकर उपलब्ध है।

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की आंतरिक तिथि:— :- 10.02.2025

निविदा प्रपत्र आनलाइन प्रस्तुत (अपलोड) करने की अंतिम तिथि :- 05.03.2025

तकनीकी निविदा दिनांक डाउनलोड किये जाने की तिथि :- 07.03.2025

निविदा का अनुमानित मूल्य :- 40 लाख

नियम शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- ई—निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है। इच्छुक ई—निविदाकर्ता ऑनलाइन mptender.gov.in से ई—निविदा राशि रु. 5000/- का भुगतान कर ई—निविदा प्राप्त कर सकते हैं, जिसको mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक—पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है।
- ई.एम.डी. राशि रूपये 40,000/- (रूपये चालीस हजार मात्र) है, जिसे ई—पेमेन्ट के माध्यम से mptender.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptender.gov.in के माध्यम से वापस लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबंध राशि 3 प्रतिशत तक) बैक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान में जमा करना होगा। निष्पादन प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी। सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित—2022 के प्रावधानों अनुसार म0प्र0के लधु उद्यम उद्योगों एवं प्रदेश के स्टार्टअप को नियमानुसार छूट रहेगी। इस हेतु म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई.विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- ई—निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।
- राज्य शासन के पेंशनर्स तथा अन्य उपचार योजना अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा हेतु आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त एवं पेटेन्ट औषधियां ही सप्लाई की जाना है। औषधियों का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 24 घंटे अर्थात् एक दिवस में संस्थान चिकित्सालय के स्टोर में औषधियां प्रदाय करनी होगी। इसके लिए पृथक से कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा। अधिकतम खुदरा मूल्य में से छूट राशि को कम कर शेष राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी.देय होगा।

4. औषधियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य में कितने प्रतिशत की छूट देय होगी, इस हेतु वित्तीय निविदा में खुदरा मूल्य से छूट का प्रतिशत अंकों व शब्दों में केवल <https://mptenders.gov.in> पर ई-वित्तीय निविदा की एक्सल शीट Boq में अंकित करना है ।
5. औषधियों के आदेशानुसार पृथक-पृथक देयक तीन प्रतियों में संस्थान चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा ।
6. औषधियों के गुणवत्ता संबंधी प्रमाणीकरण चिकित्सालय के अधीक्षक के द्वारा मान्य होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।
7. किसी भी पेंशनर या अन्य उपचार योजना के अन्तर्गत हितग्राही रोगी की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी ।
8. सफल निविदाकार से किया गया अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिये मान्य होगी । दोनों पक्षों की सहमति से समान शर्तों के साथ अनुबंध अवधि में आगामी 01वर्ष हेतु वृद्धि की जा सकेगी ।
9. ई-निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रुपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है । जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा ।
10. म0प्र0केसूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं स्टार्टअप्स को म0प्र0भंण्डार क्य तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कणिंका 23.1 मे उल्लेखित अनुसार निर्धारित एल-01 फर्म को सामग्री की आपूर्ति हेतु क्य आदेश जारी किया जायेगा जिस फर्म को औषधियां प्रदाय हेतु आदेश किया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि में शर्तों का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से औषधियां प्रदाय नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी ।
11. वांछित सभी कम्पनियों/फर्मों/फार्मेसियों की दवायें उपलब्ध करवाना होंगी ।
12. निविदाकर्ता फर्म का गुमास्ता संबंधित कार्य का होना तथा जीएसटी नं. होना अनिवार्य है ।
13. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का टर्न ओवर न्यूनतम 80–80 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24की आयकर विवरणी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न आवेर प्रमाण पत्र विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
14. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा एल-02 निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा ।
15. निविदाकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए । यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा । इस संदर्भ ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रुपये 100.00के नान जूडिशियल स्टांप पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

16. जिस फर्म द्वारा खुदरा मूल्य पर छूट का प्रतिशत अधिक होगा उसी फर्म की निविदा स्वीकार होगी, यदि निविदा की छूट का प्रतिशत समान होता है, तो उसे लाटरी सिस्टम से खोला जावेगा, जिसे सभी को मान्य करना होगा ।
17. ई—निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा ।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका पालन करना होगा ।
19. ई—तकनीकी निविदा में जो दस्तावेज अपलोड किये हैं, उन दस्तावेजों की सत्यापित प्रति का 01 सेट ई—तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
20. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी ।
21. ई—तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल बांछित दस्तावेजों(चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार में क्षेत्र में लिया जावेगा ।
22. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा ।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

**पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
पेंशनर्स एवं अन्य उपचार योजनान्तर्गत औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु तकनीकी निविदा
(तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र -01)**

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम-----
2. फर्म के मालिक का नाम----- पिता का नाम-----
- 3 वर्तमान निवास का पता-----
- 4 दूरभाष / मोबाइल नम्बर-----
- 5 GSTIN NO.-----
- 6 जीवित गुमास्ता नं.....दिनांक
7. पैन कार्ड नं.....
- 8 ई.एम.डी. राशि अंको में.....शब्दो में-----यू.टी.आर. नं0
- (ई.एम.डी.राशि ई-प्रिटेड प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना होगा)
- 9.निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का टर्न ओवर न्यूनतम 80-80 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की आयकर विवरणी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न आवेर प्रमाण पत्र विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
- 10 जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
11. प्रपत्र-03 अनुसार शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
12. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । संलग्न हॉ/नहीं
- 13.एम.एस.एस.इ.फर्म को म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई.विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।

**निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम-----**

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
(पेंशनर्स एवं अन्य निःशुल्क उपचार योजनान्तर्गत औषधि प्रदाय हेतु ई-वित्तीय निविदा प्रारूप)
ई-वित्तीय निविदा प्रपत्र -02

| विवरण | प्रतिशत | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| | अंकों में | शब्दों में |
| खुदरा मूल्य पर अधिकतम छूट | | |

नोट— उक्त प्रपत्र प्रारूप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार छूट राशि को ई-वित्तीय निविदा ऑनलाइन www.mptender.gov.in पर तकनीकी निविदा की एक्सल शीट BBQ मे ही दर्ज करना है।

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
(पेंशनर्स एवं अन्य निःशुल्क उपचार योजनान्तर्गत औषधि प्रदाय हेतु शपथ पत्र प्रपत्र-03)

// शपथ –पत्र //

मै..... पिता श्री.....

निवासी

उम्र..... शपथ पूर्वक कथन कथन करता हू कि उपरोक्त पेंशनर्स एवं अन्य उपचार योजनान्तर्गत औषधियों की आपूर्ति हेतु की ई— निविदा में दी गई समर्त शर्तों का पूर्ण होश—हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समर्त शर्त मुझे मान्य है । एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समर्त दस्तावेज वैधानिक है । निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटि पूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा /अनुबंध निरस्त की जाती है, तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम——

मोबाइल नं0

नोट :- उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
(पेंशनर्स एवं अन्य निःशुल्क उपचार योजनान्तर्गत औषधि प्रदाय हेतु ई-निविदा की चैक लिस्ट)

चैक-लिस्ट

| क्रं. | दस्तावेजों के नाम | संलग्न हाँ / नहीं |
|-------|---|-------------------|
| 1 | गुमास्ता की छायाप्रति | |
| 2 | पेनकार्ड की छायाप्रति | |
| 3 | GSTIN.पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रति | |
| 4 | निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का टर्न ओवर न्यूनतम 80–80 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की आयकर विवरणी चाटेड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न आवेर प्रमाण पत्र विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है। | |
| 5 | ई.एम.डी.राशि की ई-प्रिटेड प्रति | |
| 6 | ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रु 100.00 के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज | |
| 7 | प्रपत्र-3 अनुसार शपथ पत्र राशि रु 100.00 के नान ज्युडीशियल स्टांप पर | |
| 8 | एम.एस.एस.इ.फर्म को म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई.विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ सलग्न किया जाना आवश्यक होगा। | |

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....
निविदाकर्ता का नाम.....
फर्म का नाम
पता.....
मोबाइल नं.....